फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती रशीदा बेगम   बनाम   विपक्षी : श्री लियाकत खां

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम   पत्रावली संख्या : 14 / 22

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 08.07.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता विपक्षी अनुपस्थित। प्रकरण मे अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस मे बताया की प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात के खातेदार श्री मानखा पिता श्री कासम खा जी मुसलमान के खातेदारी हक अधिकार एव आधिपत्य की थी। मानखां जी के निधन के बाद उनके वारिसान दो पुत्र हसन खां एवं लियाकत खा एव दो पुत्रीया रशीदाबेगम एव बरकत बेगम हुए। प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात मानखा के निधन के बाद विरासत के आधार पर उनके पुत्र हसन खा, लियाखत खा एव पुत्रीयां रशीदाबेगम एव बरकत बेगम जो कि मुस्लिम होकर मुस्लिम स्वार्थी विधि से शासित होते है, मुस्लिम विधि के अनुसार प्रार्थीया सं. 1 मे 1/8 हिस्सा से, प्रार्थीया सं. 2 मे 1/8 हिस्से से एवं विपक्षी सं. 1 लियाकत खां मे 3/8 हिस्से से एवं विपक्षी सं. 2 से 8 के पिता पति श्री हसन खां मे 3/8 हिस्से से निहित होनी चाहीये थी लेकिन विपक्षी स. 1 व विपक्षी सख्या 2 से 8 के पिता पति द्वारा मानखां की विरासत का नामान्तरण गलत तरिके से सिर्फ अपने नाम ही दर्ज करवा लिया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बताया कि उक्त गलत नामान्तरण के आधार पर विपक्षीगण प्रार्थीगण को बेदखल करने व प्रार्थनाग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है जिससे विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में विपक्षीगण द्वारा प्रार्थनापत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया।

प्रकरण मे प्रथम दृष्टया हमने पाया की अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थनाग्रस्त भूमि को संयुक्त मुस्लिम परिवार की पैतृक भूमि बताया है जिसमे प्रार्थीगण का हक हिस्सा निहित है। प्रकरण मे जमाबंदी संवत 2035–38 से स्पष्ट है कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि मुल पुरूष मानखां पिता कासम खां के नाम दर्ज रेकर्ड थी। जमाबंदी संवत् 2048–51 से स्पष्ट है कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि सिर्फ विपक्षी सख्या 1 व विपक्षी संख्या 2 से 8 के पिता के नाम दर्ज रेकर्ड हुई। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं अन्य बिन्दुओ को मुल वाद में साक्ष्य सबुत के आधार पर तय किया जायेगा। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने से सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किये जाते हैं। उपरोक्त बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किये जाने से मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षीगण को पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है जिससे किसी प्रकार के मौके व रेकर्ड के परिवर्तन से बचा जा सके। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर भू–अभिलेख निरीक्षक भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी [illegible] 8–51 की खाता संख्या नया 12 की आराजी नम्बर 3593, 3594, 3595, 3596, 4751, 47[illegible] 47[illegible] 4756, 4757 किता 9 रकबा 1.2800 है. भूमि में विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण होने तक [illegible] राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल सुमार होकर [illegible]

निर्णय खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 15:19:26 IST
Reason: SelfAttested